प्र.पी.-297ए

S 8

पूरक कथन
(धारा 161 द०प्र०सं०)

थाना-ईओडब्ल्यू, रायपुर
अपराध क्रमांक-09/15

जिला-रायपुर।
धारा-109, 120[illegible] 13(1) (डी)
सहपठित धारा 13(2) भ्र.नि.अ. 1988

जीत राम यादव पिता स्व. श्री राम भरोस यादव उम्र 55 वर्ष वरिष्ठ सहायक छ.ग राज्य नागरिक आपूर्ति निगम मुख्यालय रायपुर निवास शक्ति नगर, गली नं. 3, आरोग्य अस्पताल के सामने रायपुर छ०ग०।

---000---

पूछनें पर बताया कि, मैं उपरोक्त पते पर रहता हूँ। पूछनें पर बताया कि, सन् 1986 में नागरिक आपूर्ति निगम में मैं कनिष्ट सहायक के पद पर जगदलपुर जिला कार्यालय में मेरी नियुक्ति हुई। वहाँ सन् 2002 तक कार्यरत रहा। वहाँ से ट्रांसफर पश्चात् नागरिक आपूर्ति निगम मुख्यालय रायपुर में कार्यरत हूँ। सन् 2012 में वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति मिली। नागरिक आपूर्ति निगम मुख्यालय रायपुर में प्रबंध संचालक श्री अनिल टूटेजा हैं। श्री एम.एन.प्रसाद राव महाप्रबंधक(उपार्जन, परिवहन), श्री शिवशंकर भट्ट, प्रबंधक(सार्वजनिक वितरण प्रणाली/वसैम) है। श्री शिवशंकर भट्ट के अधीन श्री सत्यनारायण सूर्यवंशी, उप प्रबंधक, श्री [illegible] रेड्डी, सहायक लेखाधिकारी, श्री अरविंद ध्रुव, स्टेनो टायपिस्ट, श्री [illegible] बारिक, स्टेनो टायपिस्ट एवं मैं स्वयं वरिष्ठ सहायक के रूप में, व रश्मि अग्रवाल कनिष्ट सहायक के रूप में कार्यरत हैं। प्रबंध संचालक के कार्य आबंटन आदेश क्रमांक/स्था./2014/323 दिनांक 23.04.2013 के अनुसार पी.डी.एस. कक्ष को सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं वसैम (खाद्यान्न, शक्कर, नमक एवं अन्य [illegible] से संबंधित भारत सरकार तथा राज्य सरकार को [illegible] करना, [illegible] पर [illegible] करना तथा [illegible] में खाद्यान्न, शक्कर, नमक की उपलब्धता एवं उचित मूल्य की दुकानों को भण्डारण सुनिश्चित करना।) [illegible] था [illegible] दिया गया था। चॉवल उपार्जन एवं परिवहन का कार्य महाप्रबंधक श्री एम.एन. प्रसाद राव को सौंपा गया था।

[illegible] दिनांक को पी.डी.एस. कक्ष की [illegible] नस्ती क्रमांक [illegible] 2014-[illegible] को दिखाकर पूछने पर बताया कि रायगढ़ जिले में पूर्व से ही [illegible] स्टॉक उपलब्ध था, [illegible] खाद्यान्न परिवहन नस्ती क्रमांक 113, वर्ष 2014-15 नोटशीट पृष्ठ क्रमांक 14 से होती है। रायगढ़ जिले द्वारा चॉवल की मांग भी नहीं की गई थी [illegible] जिले [illegible] चॉवल भेजा जाना था फिर भी रायगढ़ जिले [illegible] जिला से 4 रेक 10000 मेट्रिक टन चॉवल का परिवहन नस्ती क्रमांक 113, वर्ष 2014-15 नोटशीट पृष्ठ क्रमांक 60 पर प्रबंध संचालक द्वारा दिए गए अनुमोदन अनुसार [illegible] आदेश क्रमांक [illegible]/परिवहन/118/2014-15/1449/ दिनांक 01.12.2014 द्वारा [illegible] भारत सरकार के [illegible] निर्देश अनुसार कम उपलब्धता वाले जिलों को [illegible] जिले से चॉवल परिवहन कराने के निर्देश हैं। पूछने पर बताया कि उक्त चॉवल भेजने संबंधी नोटशीट को प्रबंधक(पी.डी.एस.)

श्री शिवशंकर भट्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसके आधार पर प्रबंध संचालक श्री अनिल टुटेजा द्वारा अनुमोदित किया गया था। पूछने पर बताया कि धमतरी जिले में भारतीय खाद्य निगम द्वारा चॉवल का उपार्जन किया जा रहा था एवं उनके द्वारा नियमित रूप से रेक के माध्यम से अन्य राज्यों को चॉवल भेजा रहा था। ऐसी स्थिति में राईस मिलर्स का चॉवल एफ.सी.आई. धमतरी में जमा कराय जा सकता था और नागरिक आपूर्ति निगम में पी.डी.एस. मासिक आबंटन अनुसार चॉवल का वितरण हो जाता और जो क्षमता गोदाम में रिक्त होती उसमें राईस मिलर्स का चॉवल लिया जा सकता था। इस तरह से अनावश्यक रूप से चांवल का मूवमेंट कराकर शासन को क्षति पहुंचाई गई है। पूछने पर बताया कि धमतरी डिपो में वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 का चॉवल संग्रहित था एवं जिला प्रबंधक को पूर्व से कार्यालयीन पत्र क्रमांक/पीडीएस/2014-15/1434 दिनांक 27.11.2014 (नस्ती क्रमांक 112(II), पृष्ठ क्रमांक 551, नोटशीट क्रमांक 47) द्वारा स्थाई निर्देश हैं कि वे FIFO का पालन करते हुए चॉवल का वितरण करें। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि धमतरी में पुराने चॉवल को अन्य स्थान पर भेजने के लिए परिवहन का कार्यक्रम दिया गया और रायगढ़ चॉवल परिवहन कराया गया।

पूछने पर बताया कि इसी तरह धमतरी से जांजगीर जिले में भी अनावश्यक परिवहन कराया गया। जांजगीर जिला सरप्लस चॉवल वाला जिला है, जिसकी पुष्टि खाद्यान्न परिवहन नस्ती क्रमांक 118 वर्ष 2014-15 नोटशीट पृष्ठ क्रमांक 70 एवं 71 में उल्लेख है। जांजगीर से निकटतम जिला कोरबा को परिवहन कराया जाता है। सरप्लस जिला होने के कारण जांजगीर में चॉवल की आवश्यकता नहीं थी इसकी पुष्टि नोटशीट पृष्ठ क्रमांक 70-71 से होती है। सरप्लस जिला होने के कारण जांजगीर जिले में अतिरिक्त चॉवल की आवश्यकता नहीं थी फिर भी 2 रेक 5400 मेट्रिक टन चॉवल धमतरी से जांजगीर जिला कार्यालयीन आदेश क्रमांक-सानिप्र/परिवहन/106/2014-15/ 1766 दिनांक 19.01.2015 द्वारा भेजा गया था। धमतरी से जांजगीर 5400 मेट्रिक टन चॉवल मूवमेंट हेतु नोटशीट में प्रबंधक पी.डी.एस. श्री भट्ट द्वारा नोटशीट भेजे जाने की अनुशंसा सहित प्रबंध संचालक श्री अनिल टुटेजा की ओर प्रस्तुत की गई थी, जिसे प्रबंध संचालक द्वारा अनुमोदित किया गया था। यह अनावश्यक जारी किया गया था क्योंकि जांजगीर जिले में पूर्व से ही सरप्लस स्टॉक रखा हुआ था एवं नियमित रूप से मिलर्स से चॉवल भी प्राप्त हो रहा था और इसका जांजगीर के मिलर्स द्वारा विरोध भी किया गया था, कि उनके जगह कम हो जायेगा [illegible] न लेवें।

पूछने पर बताया कि जिला प्रबंधक बलौदाबाजार ने पत्र क्रमांक/सानिप्र/2014-15/[illegible] बलौदाबाजार दिनांक 29.11.2014 द्वारा 7,500 मे.ट. चॉवल की आवश्यकता बताई गई थी। (नस्ती क्रमांक 118 नोटशीट पृष्ठ क्रमांक 59)। पूछने पर बताया कि इस जिले में कस्टम मिलिंग का चॉवल भी जिले के विभिन्न उपार्जन केन्द्रों में जमा हो रहा था। जिला प्रबंधक महासमुंद ने अपने पत्र क्रमांक/सानिप्र/2014-15/1135/परिवहन दिनांक 25.11.2014 द्वारा 2000 मेट्रिक टन [illegible] जिले में भेजने का अनुरोध किया गया था। (नस्ती क्रमांक 118 नोटशीट पृष्ठ क्रमांक 5)

इस कार्यालय द्वारा महासमुंद से 2000 मीट्रिक टन चॉवल बलौदाबाजार भेजने हेतु प्रस्तावित किया गया था (नस्ती क्रमांक 118 नोटशीट पृष्ठ क्रमांक 66), लेकिन प्रबंध संचालक द्वारा महासमुंद से बलौदाबाजार 2000 मीट्रिक टन(1 हजार मेट्रिक टन अतिरिक्त) दुर्ग से बलौदाबाजार [illegible] मीट्रिक टन एवं दुर्ग से बेमेतरा 2500 मीट्रिक टन भेजने हेतु निर्देशित किया गया। इस तरह महासमुंद से

1000 मीट्रिक टन अतिरिक्त परिवहन बलौदाबाजार को हुआ तथा दुर्ग से 2500 मीट्रिक टन बलौदाबाजार एवं 2500 मीट्रिक टन बेमेतरा को अतिरिक्त परिवहन हुआ, जबकि इसकी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि बलौदाबाजार जिले में विभिन्न केन्द्रों पर राईस मिलर्स द्वारा कस्टम मिलिंग का चॉवल निरंतर जमा किया जा रहा था।

पूछने पर बताया कि बलौदाबाजार के निकटतम केन्द्र तिल्दा नेवरा अथवा खरोरा से चॉवल का परिवहन बलौदाबाजार कराया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं करते हुए शासन को क्षति पहुंचाने हेतु परिवहन आदेश जारी किया गया।

पूछने पर बताया कि प्रबंध संचालक के उपरोक्त कार्य आबंटन आदेश क्रमांक 323 दिनांक 13.04.2014 में पी.डी.एस. कक्ष प्रभारी प्रबंधक शिवशंकर भट्ट को परिवहन संबंधी कार्य का आदेश नहीं था किंतु उपरोक्त परिवहन संबंधी कार्य प्रबंध संचालक के निर्देश पर श्री भट्ट द्वारा किया जा रहा था। इसी क्रम में चॉवल उपार्जन एवं परिवहन का कार्य श्री भट्ट द्वारा किया जा रहा था। इस कार्य हेतु पी.डी.एस. कक्ष में उपार्जन नस्ती क्रमांक 112, पी.डी.एस. कक्ष, वित्तीय वर्ष 2013-14 तथा चॉवल परिवहन नस्ती क्रमांक 106, वित्तीय वर्ष 2013-14 संधारित की जा रही थी। इन नस्तियों में चॉवल उपार्जन एवं परिवहन संबंधी प्राप्त पत्र एवं जारी पत्र हैं, जो प्रबंधक (पी.डी.एस.) श्री भट्ट द्वारा प्रबंध संचालक के अनुमोदन पश्चात् जारी किए गए हैं।

वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में धान एवं चॉवल उपार्जन हेतु जारी निर्देश संबंधित [illegible] संलग्न है। जिसमें चॉवल उपार्जन का कार्य आबंटन अनुसार महाप्रबंधक उपार्जन/परिवहन को दायित्व सौंपा गया है, किन्तु इसके विपरीत प्रबंध संचालक द्वारा चॉवल उपार्जन से संबंधित [illegible] के निर्देश जारी करने संबंधी कार्य प्रबंधक (पी.डी.एस.) श्री भट्ट से [illegible] जाता था एवं प्रबंध संचालक के निर्देश पर प्रबंधक (पी.डी.एस.) श्री भट्ट द्वारा पी.डी.एस. कक्ष में पृथक से उपरोक्त फाईल संधारित कर समय-समय पर विभिन्न निर्देश तैयार कर प्रबंध संचालक को प्रस्तुत किए गए तथा यह निर्देश प्रबंध संचालक द्वारा उनके स्वयं के हस्ताक्षर से जारी किए गए हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

1. छ.ग.शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय का पत्र क्रमांक 2290/1.22/2013/29/खाद्य रायपुर दिनांक 23.07.20[illegible] द्वारा खरीफ वर्ष 2013-14 सीजन के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित [illegible] प्रबंध संचालक को भेजा गया था। इस पत्र को प्रबंध संचालक द्वारा श्री भट्ट को पृष्ठांकित किया गया था।
2. प्रबंध संचालक के निर्देश अनुसार [illegible] 2013-14 में उपार्जन शुरू [illegible] उपार्जन एवं कस्टम मीलिंग के संबंध में [illegible] बैठक दिनांक [illegible] के संबंध में पी.डी.एस. कक्ष से निर्देश दिए गए थे, जिसके अनुक्रम में श्री भट्ट द्वारा [illegible] तैयार कर प्रस्तुत किया गया, जो प्रबंध संचालक के हस्ताक्षर से क्रमांक/पी.डी.एस/2013-14/1354 रायपुर दिनांक [illegible] को जारी किया गया था, जिसमें धान एवं चॉवल उपार्जन के संबंध में दिशा-निर्देश दिए गए थे। यह पत्र भी नियमानुसार उपार्जन कक्ष से जारी किया जाना चाहिए था।

इस प्रकार चॉवल उपार्जन एवं परिवहन का जो कार्य उपार्जन एवं परिवहन कक्ष द्वारा किया जाना चाहिए था वह कार्य प्रबंध संचालक श्री अनिल टुटेजा द्वारा श्री भट्ट से पी.डी.एस. कक्ष में कराया जा रहा था। इसी प्रकार समस्त पत्र तथा नीतिगत दिशा-निर्देश जो उपार्जन कक्ष से संबंधित थे उसे प्रबंध संचालक श्री अनिल टुटेजा के निर्देश पर श्री भट्ट द्वारा पी.डी.एस. कक्ष में पृथक से नस्तियाँ संधारित कर कार्य किया जा रहा था।

इसी तरह 2 रैक 5400 मेट्रिक टन चांवल धमतरी से जांजगीर (अकलतरा) भेजने हेतु मूवमेंट आर्डर नोटशीट पृष्ठ क्रमांक 70-71 और पत्र क्रमांक-साविप्र/परिवहन/106/2014-15/1766 दिनांक 19.01.2015 जारी किया गया जो कि अनावश्यक था क्योंकि जांजगीर जिले में पूर्व से सरप्लस स्टॉक रखा हुआ था एवं नियमित रूप से मिलर्स से चांवल भी प्राप्त हो रहा था। इसका जांजगीर के मिलर्स ने विरोध भी किया था कि उनके यहां जगह कम हो जाएगा रैक न भेजें। धमतरी बालोद रेक प्वाइंट का एच एण्ड टी दर 41 रूपये प्रति बोरा अर्थात् 82 रूपये प्रति क्विंटल है, इसमें रेक प्वाइंट धमतरी बालोद पर लोडिंग के समय 82 रूपये प्रति क्विंटल तथा जांजगीर रेक प्वाइंट पर अनलोडिंग के समय 82 रूपये प्रति क्विंटल की दर से 54,000 क्विंटल के लिए 54,000×164(82+82) = 85,28,000/- इस तरह नागरिक आपूर्ति निगम को अतिरिक्त राशि का परिवहन व्यय के रूप में भुगतान करना पड़ा। यह राशि भी स्पष्टतः निगम/शासन की क्षति है।

(विवरण- खाद्यान्न परिवहन नस्ती क्रमांक 118 वर्ष 2014-15 नोटशीट पृष्ठ क्रमांक 70 एवं 71 कार्यालयीन आदेश क्रमांक-साविप्र/परिवहन/106/2014-15/1766 दिनांक 19.01.2015) संलग्न है।

इससे निम्नानुसार निगम को हानि उठानी पड़ी :

1. गरियाबंद जिला के राजिम केन्द्र से बलौदाबाजार जिला के कसडोल केन्द्र :

परिवहन मात्रा	दूरी	दर प्रति टन/प्रति कि.मी.	कुल राशि
1500 मे.ट.	116	8.10	14,09,400

2. गरियाबंद जिला के राजिम केन्द्र से बलौदाबाजार जिला के बिलाईगढ़ केन्द्र :

परिवहन मात्रा	दूरी	दर प्रति टन/प्रति कि.मी.	कुल राशि
1500 मे.ट.	152	6.45	14,70,600

3. दुर्ग जिला से बलौदाबाजार जिला :

परिवहन मात्रा	दूरी	दर प्रति टन/प्रति कि.मी.	कुल राशि
2500 मे.ट.	115	10.89	31,30,875

4. दुर्ग जिला से बेमेतरा जिला :

परिवहन मात्रा	दूरी	दर प्रति टन/प्रति कि.मी.	कुल राशि
2500 मे.ट.	76	11.10	21,09,000

उपरोक्तानुसार निगम को अनावश्यक रूप से सरप्लस जिले को ही परिवहन कराने पर एच एण्ड कार्य अर्थात रेक मुव्हमेंट का एवं एल.आर.टी. कार्य का कुल राशि 3,37,03,875/- का भुगतान करना पड़ा जो स्पष्ट रूप से निगम की क्षति है। यह अनावश्यक परिवहन तथा स्पेस करने का कारण निगम को आर्थिक क्षति पहुंचाना तथा प्रबंध संचालक टुटेजा एवं शिवशंकर भट्ट को आर्थिक अवैध लाभ प्राप्त करना एवं राईस मिलर्स को यह संदेश देना कि मुख्यालय से चॉवल उपार्जन कार्य में अड़चने पैदा की जा सकती हैं ताकि उनसे अवैध वसूली की जा सके।

उपरोक्त नस्तियों की नोटशीट एवं पत्राचार में प्रबंध संचालक श्री अनिल टुटेजा और प्रवंधक(पी.डी.एस.) श्री शिवशंकर भट्ट के हस्ताक्षर हैं, मैं उनके हस्ताक्षर और लिखावट पहचानता हूँ, क्योंकि मैं उनके अधिनस्थ कार्य किया हूँ। यही मेरा कथन है।

दिनांक-04.03.2015

ROAC, before me,

(एस.डी.देवस्थले)
निरीक्षक
आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो,
रायपुर, छ0ग0